झारखंड उच्च न्यायालय,रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 1123/2018

मथुरा सिंह, उम्र लगभग 66 वर्ष, पिता- स्वर्गीय सिरोमन सिंह, निवासी ग्राम- बालीगुमा, डाकघर- एमजीएम (मानगो), थाना- मानगो, सहर- जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से , झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला - रांची

2. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर और थाना- साकची, जिला- पूर्वी सिंहभूम।

3. अतिरिक्त कलेक्टर, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर और थाना- साकची, जिला- पूर्वी सिंहभूम

4. भू-राजस्व उप कलेक्टर, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर और थाना- साकची, जिला- पूर्वी सिंहभूम

5. सर्किल ऑफिसर, साकची, डाकघर और थाना- साकची, जिला- पूर्वी सिंहभूम

6. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर और थाना- साकची, जिला- पूर्वी सिंहभूम अपने विशेष अधिकारी के माध्यम से

...प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए :श्री ए. के. साहनी, अधिवक्ता

प्रतिवादीगणों के लिए : सुश्री सुरभि, सहायक अधिवक्ता ,एएजी II

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

1. न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना ।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिका प्रत्यर्थियों को आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के अनुरोध के साथ दायर की गई है कि वे भूखंड संख्या 21 दशमलव के क्षेत्र को मापने वाले भूमि के टुकड़े पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें। 152 (नया प्लॉट नं. 3768) खाता नं. 245 वार्ड नं. 1, पूर्वी सिंहभूम जिले के मौज़ा-साक्ची में।

3. प्रतिवादीगणों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि प्रतिवादीगणों ने जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है, लेकिन राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी निजी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, और याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बेदखल होने की कोई आशंका नहीं है।

4. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और किए गए प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादीगणों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उस भूमि पर बेदखल न किया जाए, जिसके अधिकार का रिकॉर्ड कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके पिता सिरोमन सिंह के नाम पर है।

5. तदनुसार इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक, 19 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।